# राजस्थानस्कूल शिक्षा परिषद्

मुख्य भवन ब्लॉक–6

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन –0141–2706069 rajssaquality@gmail.com


क्रमांकः–रा.स्कू.शि.प./जय/गुणवत्ता/रेडीनेस/2024–25/ 818 दिनांक : 8/5/2024

# स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम (विद्या प्रवेश) दिशा निर्देश 2024–25

स्कूल रेडीनेस (विद्या प्रवेश) कार्यक्रम भारत सरकार की एक पहल "निपुण भारत" (फाउण्डेशनल लिटरेसी एण्ड न्यूमरेसी) राष्ट्रीय मिशन के आवश्यक घटकों में से एक है। **यह कार्यक्रम कक्षा 01 में नव प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों जिनके पास किसी पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अनुभव हो या नहीं हो,** के सीखने की प्रक्रिया को सहज तथा विद्यार्थियों के शाला में प्रवेश में सहयोगी रहेगा।

नव प्रवेशित विद्यार्थियों को कक्षा–1 में प्रवेश के साथ औपचारिक शैक्षणिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने हेतु खेल–आधारित स्कूल तैयारी कार्यक्रम (स्कूल रेडीनेस) जिसे "विद्या प्रवेश कार्यक्रम" कहा गया है, को तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम कक्षा–01 के शुरूआती तीन माह या 12 सप्ताह में पूर्ण किया जाना है। जिसके अन्तर्गत गतिविधियों एवं खेल–खेल के माध्यम से बच्चे की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक अवधारणा को आनन्दमय बनाते हुए कौशल भी हासिल किये जायेंगे। जो प्रारम्भिक स्तर पर सीखने के लिए एक ठोस नींव के निर्माण की दिशा में उपयोगी सिद्ध होगा।

## स्कूल रेडीनेस (विद्या प्रवेश) कार्यक्रम क्या है–

विद्या प्रवेश कक्षा–01 में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए तीन माह/12 सप्ताह का खेल व गतिविधि आधारित तैयारी कार्यक्रम है जो कि NEP-2020 के अन्तर्गत निपुण भारत मिशन की सिफारिशों के अनुसार विकसित किया गया है। बच्चों के स्कूल शिक्षा में सहजता को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से औपचारिक शिक्षा में प्रवेश पूर्व बच्चों के लिए मनोरंजक एवं प्रेरक वातावरण का सृजन करना है। इस कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में बच्चों के लिए अक्षर, रंग, आकार और संख्या सीखने के लिए रोचक गतिविधियाँ तैयार की गई है, जिससे नौनिहालों को पढ़ाई के प्रति रूचि बढ़ाने की सकारात्मक पहल की जा सकें।

## स्कूल रेडीनेस (विद्या प्रवेश) कार्यक्रम के उद्देश्य–

- नव प्रवेशित विद्यार्थियों को विद्यालय वातावरण के अनुकुल बनाना।
- प्री–स्कूल के स्तर पर बच्चों को व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना।
- खेल–खेल के माध्यम से भयमुक्त, आनन्दायी एवं प्रेरक वातावरण तैयार करना।
- FLN के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आधार तैयार करना।
- औपचारिक शिक्षा में गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु आधार तैयार करना।
- पारिवारिक शिक्षा एवं औपचारिक शिक्षा का समन्वय स्थापित करना।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करना।
- खेल विधि के माध्यम से पठन, लेखन, भाषा एवं संख्या ज्ञान की समझ विकसित करना।
- विद्यालय से पलायन की प्रवृति अथवा ड्राप आउट की दर को न्यूनतम स्तर तक लाना।
- विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में अभिवृद्धि करना।

RajKaj Ref 7022314

Signature valid

Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.05.07 13:47:23 IST

## कार्यक्रम के मुख्य आयाम

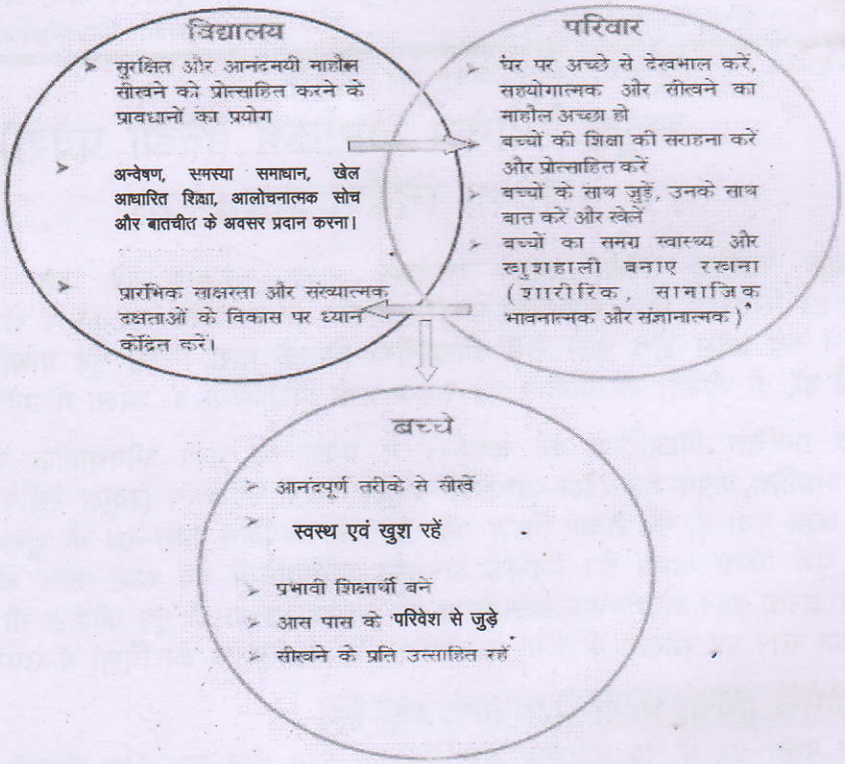


## कार्यक्रम समयावधि

**कक्षा –1 में नवप्रवेशित लक्षित बच्चे**

Play based three month's Readiness Programme for Grade-1 Children

**अवधि–03 माह या 12 सप्ताह**

**प्रत्येक सप्ताह में 05 दिवस**
**प्रतिदिन 4 घण्टे**
**शनिवार– पुनरावृति दिवस**

RajKaj Ref 7022314

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.05.07 13:47:23 IST

## रेडीनेस कार्य पुस्तिका

1. कक्षा 01 में नवप्रवेशित प्रत्येक विद्यार्थी को रेडीनेस कार्यपुस्तिका उपलब्ध कराई जानी है।
2. कार्यपुस्तिका में विकासात्मक लक्ष्यों के अनुसार कार्यपत्रक दिए गए है जिन पर शिक्षकों के निर्देशन में विद्यार्थियों द्वारा प्रारम्भिक 12 सप्ताह/03 माह तक कार्य किया जाना है।
3. कार्यपुस्तिका के आरंभ में माहवार आकलन पत्रक दिए गए हैं। जिनका कक्षा कक्ष में गतिविधियां आयोजित करते समय सतत् अवलोकन के आधार पर संधारण किया जाना है।
4. रेडीनेस कार्यपुस्तिका में विकासात्मक लक्ष्य के अनुसार कार्यपत्रकों को सम्मिलित किया गया है जिनके लिए Colour Coding की गई है –
    - Health and Well Being – Sky Blue Colour
    - Effective Communicator – Pink Colour
    - Involved Learner – Green Colour
5. शिक्षक मार्गदर्शिका में समाहित 12 सप्ताह के कलेण्डर के अनुसार कार्यपुस्तिका के कार्य पत्रकों पर कार्य कराया जाना है।
6. रेडीनेस कार्यपुस्तिका में चित्रों पर चर्चा, कहानी चित्र, बिन्दु मिलान, रंग भरना, बाल कविताऐं, बाल कहानियां, विभिन्न चित्रों की पहचान, कोलाज निर्माण, खेल, परिवेश की चर्चा आदि से सम्बन्धित गतिविधियां सम्मिलित की गई है।
7. स्कूल रेडीनेस के निर्देशानुसार विभिन्न कार्यपत्रकों पर कार्य कराया जाना है।

## शिक्षक की भूमिका –

1. नव प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रवेश के समय ही कार्यपुस्तिकाऐं उपलब्ध कराना।
2. विद्यार्थियों को खेल के माध्यम से अनौपचारिक रूप से सिखाने का कार्य करना।
3. विद्यार्थियों के साथ मार्गदर्शक, सहयोगकर्ता के रूप में व्यवहार करना।
4. विद्यार्थियों के साथ प्रारम्भिक दिनों में स्थानीय भाषा में (Local Language)में संवाद करना।
5. विद्यार्थियों के व्यक्गित विभेद (Individual Differences)को समझना एवं उनके प्रति संवेदनशील रहना।
6. बच्चों को खेल के माध्यम से ज्ञानार्जन के अवसर उपलब्ध कराना।
7. विद्यार्थियों को करके सीखने व समझने के अवसर उपलब्ध कराना।
8. विद्यार्थियों को रूचि के अनुरूप खेल के अवसर उपलब्ध कराना जिससे उनकी तर्कपूर्ण सोच का विकास हो सकें।
9. बाल केन्द्रित शिक्षण–शास्त्र के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया संपन्न कराना।
10. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को समान अवसर उपलब्ध कराना।
11. कक्षा कक्ष में अधिकाधिक टीएलएम का उपयोग करना।
12. 12 सप्ताह के कलेण्डर में वर्णित गतिविधियों के अनुसार कक्षा कक्षीय क्रियाओं का संचालन करना बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित या दैनिक गतिविधियों का संचालन करना।

RajKaj Ref
7022314

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.05.07 13:47:23 IST

13. शनिवार के दिन पूर्व के 05 दिवस में कराई गई गतिविधियों की पुनरावृति कराना।
14. कार्यपत्रकों पर दिए गए शिक्षक निर्देशों की पालना करना।
15. कक्षा एक में (सत्र पर्यन्त प्रवेश) प्रवेश लेने वाले सभी बच्चों के साथ रेडिनेस कार्य किया जाना सुनिश्चित करना।

## संस्थाप्रधान की भूमिका–

- कक्षा कक्ष में कार्यपुस्तिका के सदुपयोग को सुनिश्चित करना।
- कक्षा कक्ष की नियमित मॉनिटरिंग करना।
- कार्यपुस्तिका के उपयोग हेतु शिक्षकों को संबलन व आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- प्रतिमाह शिक्षकों एवं अभिभावकों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित करना तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति को समुदाय के साथ साझा करना।
- कार्यपुस्तिका द्वारा शिक्षण में आ रही कठिनाईयों को पहचानना व दूर करना।
- विद्यालय की गतिविधियों में समुदाय की सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रयास करना।

## विद्यार्थियों का आकलन –

रेडीनेस कार्यपुस्तिका में माहवार आकलन पत्रक (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) संलग्न किए गए है जिसमें अधिगम सूचकों के अनुरूप A, B, C Grade नियमित रूप से दर्ज की जानी है तथा विद्यार्थियों की स्वयं की स्वच्छता से संबंधित अभिव्यक्ति एवं आदतों को भी दर्ज करना है।
आकलन के लिए अवलोकन, पोर्टफोलियों, माहवार आकलन प्रत्रक का उपयोग किया जाए। अंत में समेकित टिप्पणी दर्ज की जानी है। प्रत्येक माहवार आकलन पत्रक पर शिक्षक, संस्थाप्रधान एवं अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने है।

## मासिक आकलन में निम्नलिखित चरण शामिल होने चाहिए – Classroom Work

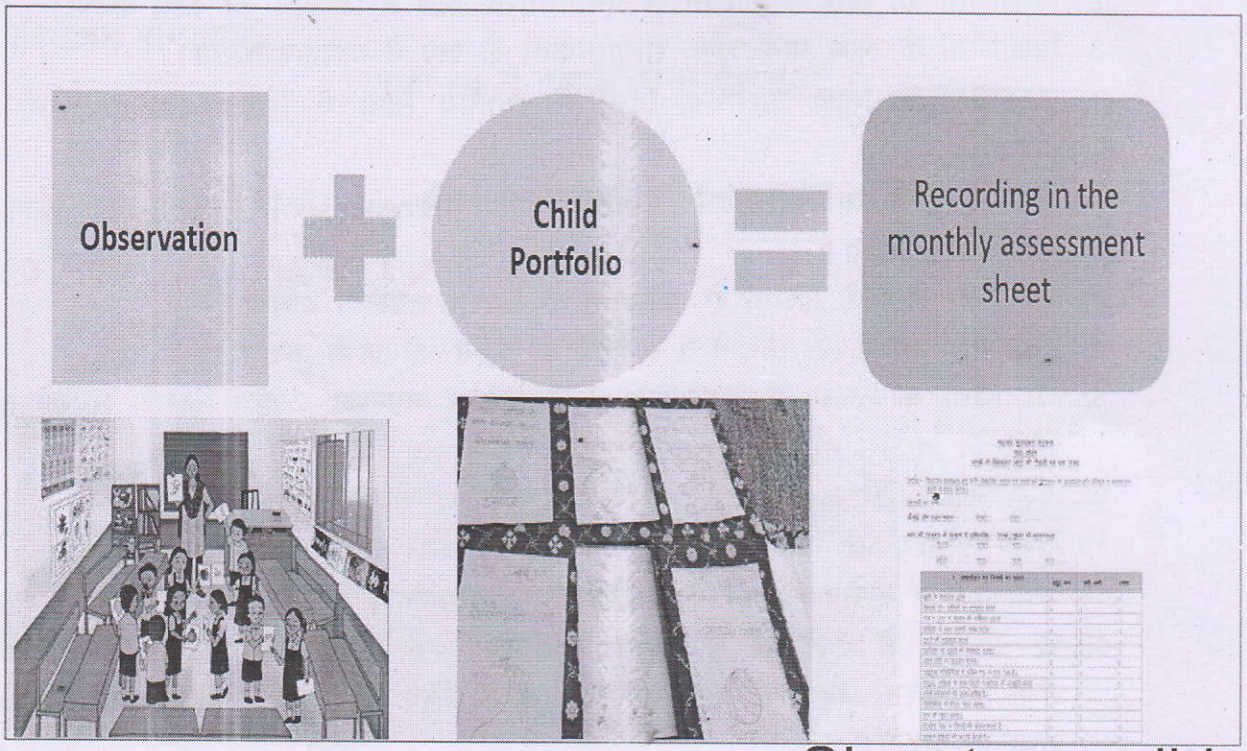


RajKaj Ref 7022314

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director
Date: 2024.05.07 13:47:23 IST

विशेष –

**प्रत्येक माह के अन्त में कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समेकित आकलन प्रपत्र प्रारूप (संलग्न) संधारित किया जाए। इस प्रकार तीन माह के 03 समेकित आंकलन प्रपत्र संधारित किए जाने हैं।**

1. कक्षा 01 में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के साथ प्रारम्भिक 03 माह/12 सप्ताह तक विद्या प्रवेश/स्कूल रेडीनेस पर कार्य किया जाना है। जिससे विद्यार्थी विद्यालय वातावरण के लिए तैयार हो सके तथा सहजता के साथ औपचारिक शिक्षण प्रारम्भ किया जा सकें।
2. स्कूल रेडीनेस पर कार्य करने के दौरान विद्यार्थियों का सतत् आकलन किया जाना हैं और यह अपेक्षा होगी की सभी विद्यार्थी कक्षा 01 में आगे सीखने के लिए आवश्यक दक्षताऐं प्राप्त कर सकें। स्कूल रेडीनेस पैकेज के सफल क्रियान्वयन के बाद विद्यार्थियों के साथ कक्षा 01 की दक्षताओं पर कार्य करना प्रारम्भ किया जाएगा। यहाँ यह आवश्यक है कि शिक्षक सभी विद्यार्थियों के स्कूल रेडीनेस में तृतीय माह के आकलन को Baseline Assessment के रूप में उपयोग करें और उसके अनुसार ही विद्यार्थियों के साथ समूह आधारित शिक्षण योजना बनाए।
3. Baseline Assessment के आधार पर कक्षा 01 के पाठ्यक्रमानुसार योजना बनाते हुए शिक्षण कार्य करे।

**संलग्न : उपरोक्तानुसार**

**(अविचल चतुर्वेदी)**
**राज्य परियोजना निदेशक एवं**
**आयुक्त**

क्रमांकः–रा.स्कू.शि.प./जय/गुणवत्ता/रेडीनेस/2024–25/ 818 दिनांक 8/5/2024

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –**

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, समग्र शिक्षा, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
4. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
5. निजी सहायक, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक आरएससीईआरटी, उदयपुर।
7. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक– प्रथम/द्वितीय राज. स्कूल शि. परिषद्, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
9. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, राज. स्कूल शि. परिषद्, जयपुर। ।
10. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिलें।
11. समस्त डाइट प्राचार्य।
12. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
13. प्रोग्रामर, रास्कूलशिप, जयपुर दिशा निर्देश को पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
14. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
15. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।
16. कार्यालय प्रति।

RajKaj Ref
7022314

Signature valid
Digitally signed by Avichal Chaturvedi
Designation : State Project Director

नमूना प्रपत्र

# समेकित आकलन प्रपत्र

## माह – प्रथम

| क्र. सं. | विद्यार्थी का नाम | प्रवेश क्रमांक | समायोजन एवं नियमों का पालन | आउटडोर गतिविधियों में भागीदारी | रचनात्मक, कलात्मक और उत्कृष्ट विकासात्मक कौशल के लिए कला गतिविधियों में भागीदारी | संख्यात्मक कौशल और पर्यावरण जागरूकता | मौखिक अभिवृद्धि का प्रदर्शन | उभरते पठन कौशल का प्रदर्शन | उभरते लेखन कौशल का प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

विशेष – माहवार समेकित आकलन प्रपत्र की आवश्यकतानुसार फोटो कॉपी कराकर उपयोग किया जाए तथा वार्षिक अभिलेख के साथ संधारित करें।